

राजस्थान सरकार .
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(78/2011)/अलेसे -III/ 8254-56

दिनांक :- 11.6.15

आदेश

श्री रामनिवास देवरवाड़, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं कार्यालय कोषाधिकारी, करौली के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 20 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के मेमोरेन्डम एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 एवं 11.06.2014 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि	
	दिनांक	कुल अवधि दिवस
1.	22.08.2013 से 23.08.2013 तक	02
2.	29.08.2013 से 30.08.2013 तक	02
3.	10.09.2013 से 11.09.2013 तक	02
4.	26.09.2013 से 27.09.2013 तक	02
5.	16.12.2013 से 27.12.2013 तक	12
	Total	20

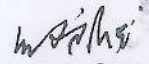

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(78/2011)/अलेसे -III/ 8254-56

दिनांक :- 11.6.15

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, करौली को उनके पत्र क्रमांक 1774-75 दिनांक 06.02.2015 के क्रम में श्री रामनिवास देवरवाड़, कनिष्ठ लेखाकार को स्वीकृत असाधारण अवकाश का सेवा पुस्तिका में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री रामनिवास देवरवाड़, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, करौली को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)